

विषय सूची

| प्राक्कथन कार्यकारी सारांश | v vii |
|---------------------------------------|---|
| अध्याय I: विहंगावलोकन | |
| अनुच्छेद संख्या | पृष्ठ संख्या |
| 1.1 | राज्य का परिदृश्य 1 |
| 1.1.1 | राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2 |
| 1.2 | राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण 4 |
| 1.3 | प्रतिवेदन की संरचना 4 |
| 1.4 | सरकारी लेखों की संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन 5 |
| 1.4.1 | वित्तीय स्थिति का सारांश 8 |
| 1.4.2 | सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का सारांश 9 |
| 1.5 | राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति 10 |
| 1.6 | लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात घाटा एवं कुल देयतायें 16 |
| 1.6.1 | लेखापरीक्षा पश्चात-घाटा 16 |
| 1.6.2 | लेखापरीक्षा पश्चात-कुल लोक ऋण 17 |
| अध्याय II: राज्य का वित्त | |
| 2.1 | वर्ष 2019-20 की तुलना में मुख्य राजकोषीय समग्रों में बड़े बदलाव 19 |
| 2.2 | निधियों के स्रोत एवं प्रयोग 20 |
| 2.3 | राज्य के संसाधन 21 |
| 2.3.1 | राज्य की प्राप्तियाँ 22 |
| 2.3.2 | राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 23 |
| 2.3.2.1 | राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि 23 |
| 2.3.2.2 | राज्य के स्व-संसाधन 25 |
| 2.3.2.3 | केंद्र द्वारा हस्तांतरण 31 |
| 2.3.3 | पूंजीगत प्राप्तियाँ 37 |
| 2.3.4 | संसाधनों की वृद्धि में राज्य का प्रदर्शन 38 |
| 2.4 | संसाधनों का उपयोग 38 |
| 2.4.1 | व्यय का संयोजन एवं वृद्धि 39 |
| 2.4.2 | राजस्व व्यय 41 |
| 2.4.2.1 | राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन 42 |
| 2.4.2.2 | प्रतिबद्ध व्यय 43 |
| 2.4.2.3 | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अनुन्मुक्त दायित्व 46 |
| 2.4.2.4 | अर्थ-सहाय्य 47 |
| 2.4.2.5 | राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता 49 |

| विषय सूची | | |
|----------------------------------|---|----|
| 2.4.3 | पूंजीगत व्यय | 50 |
| 2.4.3.1 | पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन | 51 |
| 2.4.3.2 | निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता | 53 |
| 2.4.4 | व्यय की प्राथमिकताएं | 54 |
| 2.4.5 | कार्यात्मक शीर्ष वार व्यय | 55 |
| 2.5 | लोक लेखा | 56 |
| 2.5.1 | लोक लेखा निवल शेष | 56 |
| 2.5.2 | आरक्षित निधियाँ | 57 |
| 2.5.2.1 | राज्य आपदा मोचन निधि | 58 |
| 2.5.2.2 | प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि | 61 |
| 2.6 | ऋण प्रबंधन | 61 |
| 2.6.1 | ऋण रूपरेखा: घटक | 62 |
| 2.6.2 | ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और पुनर्भुगतान | 67 |
| 2.7 | ऋण धारणीयता विश्लेषण (डीएसए) | 69 |
| 2.7.1 | उधार ली गई निधियों का उपयोग | 72 |
| 2.7.2 | प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयतायें | 73 |
| 2.7.3 | रोकड़ शेषों का प्रबंधन | 74 |
| 2.8 | निष्कर्ष एवं सिफारिशें | 77 |
| अध्याय III: बजटीय प्रबंधन | | |
| 3.1 | बजट प्रक्रिया | 79 |
| 3.1.1 | वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों/आधिकर्यों का सारांश | 82 |
| 3.1.2 | प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण | 82 |
| 3.2 | विनियोग लेखे | 83 |
| 3.3 | बजटीय और लेखा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर टिप्पणियाँ | 83 |
| 3.3.1 | अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान | 83 |
| 3.3.2 | अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन | 84 |
| 3.3.3 | अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचतों/अर्थर्पण | 85 |
| 3.4 | बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ | 90 |
| 3.4.1 | एकमुश्त बजट प्रावधान | 90 |
| 3.5 | बजटीय और लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ | 91 |
| 3.5.1 | बजट प्रक्षेपण तथा अपेक्षित एवं वास्तविक के बीच अंतर | 91 |
| 3.5.2 | अनुपूरक बजट और अवसर लागत | 93 |
| 3.5.3 | बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण | 95 |

| विषय सूची | | |
|--|--|-----|
| 3.5.4 | व्यय का प्रवाह | 98 |
| 3.5.5 | चयनित अनुदानों की समीक्षा | 101 |
| 3.6 | प्रशंसनीय कदम | 116 |
| 3.7 | सिफारिशें | 116 |
| अध्याय-IV : लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग | | |
| 4.1 | उपकर/अधिभार की वसूली | 117 |
| 4.1.1 | राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि में उपकर का कम हस्तांतरण | 117 |
| 4.1.2 | जल संरक्षण उपकर निधि में उपकर का कम हस्तांतरण | 118 |
| 4.1.3 | राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि में अधिभार का कम हस्तांतरण | 119 |
| 4.1.4 | राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष में उपकर की राशि का कम हस्तांतरण | 121 |
| 4.2 | राज्य सरकार के ऋणों को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना | 123 |
| 4.2.1 | राज्य सरकार की बजट से इतर उधार एवं आकस्मिक देनदारियों में वृद्धि | 123 |
| 4.3 | स्थानीय निधियों की जमा | 124 |
| 4.4 | उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब | 125 |
| 4.4.1 | अनुदानग्राही संस्था को 'अन्य' के रूप में दर्ज करना | 129 |
| 4.5 | सारांशीकृत आकस्मिक बिल | 131 |
| 4.6 | निजी निक्षेप खाता | 135 |
| 4.6.1 | जिला स्वनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) | 137 |
| 4.6.2 | राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण लिमिटेड (आरएसआरडीसी) | 138 |
| 4.6.3 | निजी निक्षेप खातों का मिलान | 139 |
| 4.6.4 | निजी निक्षेप खातों में प्रतिकूल शेष राशि | 139 |
| 4.6.5 | अप्रचलित निजी निक्षेप खाते | 140 |
| 4.7 | लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग | 140 |
| 4.8 | मुख्य उचंत शीर्ष और डीडीआर शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष | 142 |
| 4.9 | विभागीय आंकड़ों का मिलान | 145 |
| 4.10 | नकद शेष का मिलान | 145 |
| 4.11 | लेखांकन मानकों की अनुपालना | 145 |
| 4.12 | स्वायत्त निकायों के लेखे/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना | 146 |
| 4.13 | विभागीय वाणिज्यक उपक्रम/निगम/कम्पनियां | 147 |
| 4.14 | दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि | 148 |
| 4.15 | पेंशन का अधिक/कम भुगतान | 149 |
| 4.16 | राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही | 150 |
| 4.17 | निष्कर्ष | 150 |
| 4.18 | सिफारिशें | 150 |

| अनुलग्नक | | |
|--------------|---|-----|
| परिशिष्ट-1.1 | राज्य के वित्तीय आंकड़े | 153 |
| परिशिष्ट-1.2 | 31 मार्च 2021 को राजस्थान सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति | 154 |
| परिशिष्ट-2.1 | वर्ष 2020-21 में प्राप्तियों और संवितरणों का सार | 156 |
| परिशिष्ट-2.2 | राज्य सरकार के वित्तीय साधनों पर समय श्रेणी आंकड़े | 161 |
| परिशिष्ट-2.3 | ऋण की शब्दावली | 164 |
| परिशिष्ट-3.1 | बजट सम्बन्धित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली | 165 |
| परिशिष्ट-3.2 | निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अंतिम आधिक्य/बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी) | 168 |
| परिशिष्ट-3.3 | विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ बचतें कुल प्रावधानों में ₹ 100 करोड़ से अधिक रही | 170 |
| परिशिष्ट-3.4 | ₹ एक करोड़ एवं अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण | 172 |
| परिशिष्ट-3.5 | एकमुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ अभ्यर्पण ₹ पांच करोड़ से अधिक था) | 173 |
| परिशिष्ट-3.6 | योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा | 176 |
| परिशिष्ट-3.7 | मामले जहाँ विगत तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहे | 184 |
| परिशिष्ट-3.8 | व्यय का प्रवाह (जहाँ अंतिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था) | 186 |
| परिशिष्ट-3.9 | विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत ध्यान में आयी उल्लेखनीय बचतें | 190 |
| परिशिष्ट-4.1 | वर्ष 2020-21 तक के बकाया आकस्मिक बिलों की स्थिति | 192 |
| परिशिष्ट-4.2 | वर्ष 2016-21 के दौरान अप्रचलित रहे पीड़ी खातों का व्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र | 193 |
| परिशिष्ट-4.3 | लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय एवं लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ | 194 |
| परिशिष्ट-4.4 | सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पूंजी निवेश के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र | 196 |
| परिशिष्ट-4.5 | विभिन्न विभागों में श्रेणीवार चोरी/हानि और दुर्विनियोजन के मामलों का विवरण | 199 |
| परिशिष्ट-4.6 | पेंशन के अधिक/कम भुगतान का विवरण | 200 |